



कार्यालय प्राचार्य
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.)
(NAAC द्वारा B++ ग्रेड से प्रत्यायित संस्था)
E-mail: hegpgckhr@mp.gov.in Phone No: +91-7282-241562

क्र. 2881 / निविदा / 2025

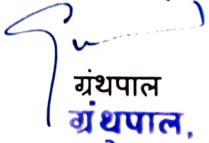
खरगोन, दिनांक 08.09.2025

सत्र 2025-26 हेतु पुस्तकें क्रय हेतु निविदा आमंत्रण

महाविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 हेतु विभिन्न मदों से प्राप्त राशि से पुस्तकें क्रय करने के लिए नई दुनिया समाचार पत्र के पृष्ठ क्र. 10 दिनांक 08.09.2025 को कार्यालय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा इंदौर संभाग द्वारा पुस्तकें क्रय हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 2057/ अति. संचा./25 इन्दौर, दिनांक 03/09/2025 अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

संलग्न प्रारूप अनुसार विक्रेता / प्रकाशक अपनी दरें नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करें।

संलग्न: संबंधित प्रारूप


ग्रंथपाल
ग्रंथपाल,
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन (म.प्र.)


प्राचार्य
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन (म.प्र.)

विक्रेता / प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत दर

क्र.	विवरण	छूट प्रतिशत
1	पाठ्य पुस्तकें	
	स्वयं के प्रकाशन की पुस्तकें	
	अन्य के प्रकाशन की पुस्तकें	
2	अकादमिक पुस्तकें	
	स्वयं के प्रकाशन की पुस्तकें	
	अन्य के प्रकाशन की पुस्तकें	
3	विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें	
4	शासकीय/अर्द्धशासकीय	
5	सामान्य साहित्य	
	स्वयं के प्रकाशन की पुस्तकें	
	अन्य के प्रकाशन की पुस्तकें	
6	प्रतियोगी पुस्तकें	
	स्वयं के प्रकाशन की पुस्तकें	
	अन्य के प्रकाशन की पुस्तकें	
7	व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पुस्तकें	
	स्वयं के प्रकाशन की पुस्तकें	
	अन्य के प्रकाशन की पुस्तकें	
8	ई-बुक्स	
	स्वयं के प्रकाशन की पुस्तकें	
	अन्य के प्रकाशन की पुस्तकें	

हमारे फर्म द्वारा उक्त अनुसार पुस्तकों पर छूट प्रदान की जाएगी।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

निविदाकर्ता की मुहर/स्टाम्प:

दिनांक: _____

स्थान: _____

निविदा की शर्तें :-

1. विक्रेता / प्रकाशक अपने भाव पत्र निर्धारित संलग्न प्रारूप में महाविद्यालय को निविदा के प्रथम प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर सायं 05:00 बजे तक प्राचार्य के नाम से सीलबंद लिफाफे में डाक या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।
2. लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से “**पुस्तकें क्रय हेतु निविदा सत्र 2025-26**” लिखा होना चाहिए।
3. पुस्तकें क्रय आदेश के अनुसार नवीन संस्करण एवं नवीन पाठ्यक्रम की होनी चाहिए। सूची अनुरूप पुस्तकों की सप्लाई न होने पर पुस्तकें स्वीकार्य नहीं की जायेंगी एवं विक्रेता / प्रकाशक के व्यय पर वापस कर दी जावेगी।
4. एफ.ओ.आर. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन महाविद्यालय परिसर रहेगा।
5. पुस्तकों पर मुद्रित मूल्य ही मान्य होगा, स्लिप चिपकाकर या काटकर किया गया संशोधन मान्य नहीं होगा।
6. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. विदेशी मुद्रा, पौड, डालर, आदि की भारतीय मुद्रा में परिवर्तन की दर का स्पष्ट उल्लेख करें। मुद्रित नहीं होने पर प्राइज प्रूफ देना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में पुस्तकें विक्रेता / प्रकाशक के व्यय पर वापस कर दी जाएंगी।
8. निविदा उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट <https://highereducation.mp.gov.in> एवं महाविद्यालय की वेबसाइट <https://govtpgcollegekhargone.org> पर देखी जा सकेगी। वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें संशोधन होने की दशा में किसी भी अन्य माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा।
9. पुस्तकों के क्रय संबंधी समस्त अधिकार प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन के पास सुरक्षित रहेंगे एवं प्राचार्य का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

पुस्तकों के प्रकार की परिभाषाएं

1. पाठ्य पुस्तकें (Textbooks)

ऐसी पुस्तकें जो किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम या विषय की अध्ययन-अध्यापन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हों, जिन्हें विश्वविद्यालय/परीक्षा मंडल द्वारा अनुशंसित या निर्धारित किया गया हो। इनमें विषय-वस्तु क्रमबद्ध रूप से अध्यायों में विभाजित होती है तथा अभ्यास प्रश्न, उदाहरण और सारांश शामिल होते हैं।

2. अकादमिक पुस्तकें (Academic Books)

विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई उच्च शिक्षा एवं शोध स्तर की पुस्तकें, जो संबंधित विषय के सिद्धांत, शोध कार्य, या उन्नत अध्ययन सामग्री प्रदान करती हैं। इनमें मोनोग्राफ, संपादित संकलन तथा शोध-आधारित प्रकाशन शामिल हैं।

3. विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें (Foreign Publications)

भारत के बाहर प्रकाशित पुस्तकें, जिनमें शैक्षणिक, संदर्भ, शोध या सामान्य पठन सामग्री सम्मिलित हो। इसमें मूल संस्करण अथवा अधिकृत आयातित संस्करण (Imported Edition) सम्मिलित हो सकते हैं।

4. शासकीय / अर्द्धशासकीय प्रकाशन (Government / Semi-Government Publications)

भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, आयोग, सांविधिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रकाशित आधिकारिक रिपोर्ट, आंकड़े, नीति दस्तावेज, अधिनियम, नियमावली, वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य सरकारी प्रकाशन।

5. सामान्य साहित्य (General Literature)

साहित्यिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक या सामान्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें, जिनमें उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता, निबंध, यात्रा-वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा और अन्य गैर-शैक्षणिक पठन सामग्री सम्मिलित है।

6. प्रतियोगी पुस्तकें (Competitive Examination Books)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे UPSC, MPPSC, UGC-NET/SLET, बैंकिंग, रेलवे, SSC आदि) की तैयारी हेतु लिखी गई पुस्तकें, जिनमें विषय-सार, प्रश्न-पत्र, मॉडल टेस्ट पेपर, गाइड या अभ्यास पुस्तिकाएं शामिल हों।

7. व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पुस्तकें (Professional Course Books)

कानून, शिक्षा, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, नर्सिंग, वाणिज्य, तकनीकी कौशल आदि जैसे विशेष पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री।

8. ई-बुक्स (e-Books)

किसी मुद्रित पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण या केवल डिजिटल रूप में उपलब्ध पुस्तक, जिसे कंप्यूटर, टैबलेट, ई-रीडर या मोबाइल उपकरणों पर PDF, EPUB, MOBI अथवा अन्य मानक प्रारूपों में पढ़ा जा सकता है, या अधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभिगम किया जा सकता है।